भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6107

दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए

अनुसंधान और विकास के लिए पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण मानक

6107. **श्री गणेश सिंह:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पारदर्शिता और निवेश दक्षता में सुधार के लिए कॉर्पोरेट अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय तथा नवाचार परिणामों के लिए एक संरचित या अनिवार्य प्रकटीकरण तंत्र लागू करने की आवश्यकता की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के कॉर्पोरेट क्षेत्र की अपेक्षाकृत कम अनुसंधान और विकास तीव्रता और नवाचार में सीमित गैर-सरकारी निवेश के लिए जिम्मेदार कारकों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य हितधारकों के परामर्श से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक मानकीकृत अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी प्रकटीकरण तंत्र विकसित करने का विचार है, ताकि निवेशकों और नीति निर्माताओं द्वारा नवाचार प्रदर्शन का बेहतर मूल्यांकन किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास निवेश को बढ़ाए जाने और दीर्घकालिक तकनीकी विकास को सहायता दिए जाने के लिए भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं और बेहतर डेटा रिपोर्टिंग, नवाचार मेट्रिक्स और नीतिगत प्रोत्साहन क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) नीति आयोग ने कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए किसी संरचित प्रकटीकरण तंत्र की आवश्यकता की जांच नहीं की है।

(ख) नीति आयोग में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर कमजोर उद्योग-अकादमिक संबंध, पर्याप्त प्रोटोटाइपिंग और परिक्षण सुविधाओं की कमी और सह वित्तपोषित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए उपयुक्त आईपी मानदंडों की आवश्यकता नवाचार में सीमित निजी निवेश के कुछ संभावित कारण हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रकटीकरण तंत्र तैयार नहीं किया गया है।

(घ) नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन (एआईएम) की शुरुआत की है, जो भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। एआईएम स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल), अटल इन्क्यूबेशन सेंटर्स (एआईसी) और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स (एसीआईसी) जैसे कार्यक्रमों को संचालित करता है, जिससे एक संपूर्ण इकोसिस्टम का निर्माण होता है जो हर स्तर पर नवोन्मेषकों का समर्थन करता है।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) की स्थापना और अनुसंधान विकास एवं नवाचार कोष (आरडीआईएफ) की शुरुआत जैसी कई अन्य पहलों को हाल ही में कार्यान्वित किया गया है। साथ ही, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश भर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 2016 में राष्ट्रीय नवाचार विकास और संवर्धन पहल (एनआईडीएचआई) की परिकल्पना और इसका विकास किया।

नवाचार मापदंडों के संबंध में, नीति आयोग ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के प्रदर्शन की निगरानी और सुधार के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति का गठन किया है।
